

INDIAN POLITY

Constitution of India and the making of the Constitution

Such an article or document which determines the outline and major functions of the government, it can be called the best basic law of the country. It is the same document that gives powers to all the organs of the state (legislature, executive, judiciary). All three have to discharge their duties by staying within the limits of the constitution. It cannot be changed easily.

भारतीय संविधान एवं संविधान का निर्माण

ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करता है, इसे देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जा सकता है। यह वही दस्तावेज है, जो राज्य के समस्त अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) को शक्तियाँ प्रदान करता है। इन तीनों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है।

The principles or rules of a country whose rule is governed according to the rules and principles are called constitution.

The Constitution calls these laws or group of rules, which directly and indirectly determines the distribution and use of the power of the supreme power of the state.

जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांत या नियमों को समूह को संविधान कहा जाता है।

संविधान इन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है।

- In the modern era, the first written constitution in the world is the United States of America, which was created after the Philadelphia Conference in 1787.
- The first constitution in Europe was made in the Netherlands which currently exists.

- आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है जो, 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था।
- यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना जो वर्तमान में विद्यमान है।

- The constitution is considered a fundamental document and the highest law of the country.
- It determines and determines the powers of state organs.
- It restricts today's organs from being autocratic and dictators by restricting their rights.
- The actual constitution is the capital of the hopes and aspirations of the people of the country.

- संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है।
- यह राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण एवं करता है।
- यह आज के अंगों को अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है।
- वस्तुतः संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है।

Purpose of constitution

Creating organs of government such as legislature, executive, judiciary etc.

Determining the powers of the organs of government such as duties, obligations etc.

To clarify the relationship between all the organs of government.

संविधान का उद्देश्य

सरकार के अंगों का सृजन करना जैसे – विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि।
सरकार के अंगों की शक्तियों जैसे – कर्तव्यों, दायित्वों आदि को निर्धारित करना।

सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना।

- The Constitution was first formed from Athens (Greece). In the modern era, the Constitution of America was made which was in written form.
- England is called the point of origin of parliamentary government and considers the United States as the originator of presidential government, and Switzerland is called the mother of republican democracy.

- संविधान का निर्माण सर्वप्रथम एथेंस (यूनान) से हुआ था। आधुनिक युग में अमेरिका का संविधान बना जो लिखित रूप में था।
- इंग्लैण्ड को संसदीय सरकार का उद्गम स्थान कहा जाता है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षत्मक सरकार का जन्मदाता मानते हैं, तथा स्विट्ज़रलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है।

➤ Mentioning fundamental rights and fundamental duties of citizens, directive elements of policy, etc.

Constitutional demand for constitution building

In principle, the idea of the Constituent Assembly was presented by Sir Henry Mann, the British Government, and in practice, the Constituent Assembly was formed in America for the first time for constitution.

➤ नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों आदि का उल्लेख करना।

संविधान निर्माण की क्रमिक मांग

सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार सर हैनरी मैन ने प्रस्तुत किया था तथा व्यावहारिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था।

- The philosophy of the principle of the Constituent Assembly first appears in the Swaraj Bill of 1895, which was formulated under the direction of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak.
- The suggestion of the Constituent Assembly was first stated by Gandhiji in a letter called Harijan in 1922 that the Constitution of India should be the right of Indians to make themselves.

- संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में दिखाई देता है, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था।
- संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधीजी के द्वारा 1922 में हरिजन नामक पत्र में स्पष्ट कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए।

- The Constitution of India was created by a Constituent Assembly, in June 1934, a definite demand was formally introduced for the Constituent Assembly.
- In the All India Congress session held in Lucknow in 1936, a demand for a Constituent Assembly was presented to make a democratic constitution for India.

- भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ, जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गयी थी।
- 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गयी।

- The British Government officially accepted the demand for the Constituent Assembly for the first time in August 1940.
- The Cripps Resolution 1942 clearly states the outline of the Constituent Assembly.
- In 1946, the British Cabinet delegation created the structure of the present Constituent Assembly as part of its plan.

- अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया।
- क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गयी है।
- 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई थी।

Cabinet mission plan

- After studying the report of the British Parliamentary Delegation, a three-tier delegation came to India in 1946, known as the Cabinet Mission.
- Cabinet Mission President Pethick Lawrence (Secretary of India) and Britain - Trade Board President Stafford Cripps and Naval Chairman AB Alexander was a member.

कैबिनेट मिशन योजना

- ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं।
- कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस (भारत सचिव) व ब्रिटेन - व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स तथा नौसेना अध्यक्ष ए.बी. एलेक्जेंडर सदस्य थे।

- The basic objective of the Cabinet Mission was to mediate to reach a compromise between the Congress and the Muslim League and to assist the Viceroy in the formation of the Constituent Assembly of India.
- The Constituent Assembly in India was formed indirectly by the state legislatures in 1946 according to the provisions of the Cabinet Mission Plan. The election was divided into only three sects, Muslim Sikhs and other Hindus.

- कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना तथा वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना था।
- भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 1946 में किया गया था। निर्वाचन केवल तीन संप्रदायों, मुस्लिम सिख व अन्य हिंदू में विभक्त किया गया था।

- The Chief Commissioner Provinces were also given representation in the Constituent Assembly.
- According to the Cabinet Mission, the number of members of the Constituent Assembly was 389, out of which 292 were elected from the provinces and 93 from the princely states, 4 were from the Commissionerate areas. Each province and native princely states were allotted seats in proportion to their population.

- चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था।
- कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें 292 प्रांतों में से तथा 93 देशी रियासतों में से चुने जाते थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में से थे। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे।

- In the Constituent Assembly, representatives were determined on the basis of population (1 on 10 lakhs).
- The number of women in the Constituent Assembly was 9 and the number of members of Scheduled Tribes was 33.

- संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्धारित किए गए (१० लाख पर १)
- संविधान सभा में महिलाओं की संख्या ९ तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या ३३ थी।

Various stages and facts of constitution making process

- The first meeting of the Constituent Assembly was held on December 9, 1946, Sachchidananda Sinha was appointed as the temporary chairman of the assembly and was boycotted by the Muslim League.
- On December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent Speaker of the Constituent Assembly.

संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं तथ्य

- संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा मुस्लिम लीग ने इसका का बहिष्कार किया था।
- 11 दिसंबर, 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

- Mr. B. N. Rao was appointed as the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly.
- On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru started the work of constitution by presenting an objective resolution in the Constituent Assembly, this resolution was passed by the Constituent Assembly on 22 June 1947.

- श्री बी. एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया।
- 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया।

➤ Various committees for constitution making, such as Procedure Committee, Negotiation Committee, Steering Committee Working Committee, Constitution Committee, Flag

➤ संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा



Organization

The Constituent Assembly came into existence in November 1946 under the 'Cabinet Mission Plan'.

Its main features were:

1. Total number = 389.
2. Of these seats, 93 seats were allocated to the princely states and 292 seats were allocated to the rest of British India.
3. Each province and feudal state were allotted seats in proportion to their population.

संगठन

'कैबिनेट मिशन योजना' के तहत संविधान सभा, नवम्बर 1946 में अस्तित्व में आया.

इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

1. कुल संख्या = 389.
2. इन सीटों में से 93 सीट देशी रियासतों को और 292 सीट शेष ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित किए गए थे.
3. प्रत्येक प्रांत और सामंती राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गईं थीं.

4. All the seats under British India were divided between Muslims, Sikhs and general people.

5. The election of 4 representatives from each community was done by voting in the Provincial Legislative Assembly.

6. Heads of princely states were empowered to elect their representatives on their own. The election was held in July, August 1946.

4. ब्रिटिश भारत के अंतर्गत सभी सीटों को मुसलमानों, सिखों और सामान्य लोगों के बीच विभाजित किया गया था.

5. प्रत्येक समुदाय से 4 प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधान सभा में मतदान द्वारा किया गया था.

6. रियासतों के प्रमुखों को यह अधिकार दिया गया था की वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सकें. चुनाव जुलाई अगस्त, 1946 में आयोजित की गई.

- Congress won 208 seats.
- Muslim League won 73 seats.
- Small groups and independents won 15 seats.
- The first meeting was held on 9 December 1946 with only 211 members (which the Muslim League boycotted.)
- The princely states had decided to stay away from the elections, so their seats remained vacant.

- कांग्रेस ने 208 सीटें जीतीं.
- मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीतीं.
- छोटे समूहों और निर्दलीय समूहों ने 15 सीटें जीतीं.
- पहली बैठक केवल 211 सदस्यों के साथ 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था जिसका (मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था.)
- रियासतों ने चुनाव से दूर रहने का फैसला किया था अतः उनकी सीटें खाली रह गईं.

However, after the acceptance of Mountbatten plan on 3 June 1947, people of most of the princely states joined it. The plan was followed by another significant change in which the Constituent Assembly was declared a sovereign body entirely and was accepted as an assembly.

हालांकि, 3 जून, 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद अधिकांश रियासतों के लोग इसमें शामिल हो गए. इस योजना के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसमें संविधान सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया और उसे विधानसभा के रूप में स्वीकार किया गया.

